निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 447/2023 (रिव्यु प्रार्थना पत्र)

मनीष पाण्डे निवासी यू–10, बालाजी विहार 29, लोहा मण्डी, माचडा, हरमाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

होम फस्ट फाईनेन्स कम्पनी इण्डिया लि॰ 605–606, सिटी कार्पोरेट टावर, मुगल रसाई के उपर, अग्रसेन सर्किल के पास, सी–स्कीम, जयपुर ।

अप्रार्थी

रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 826/2022 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) ब उनवानी होम फस्ट फाईनेन्स कम्पनी इण्डिया लि॰ बनाम मनीष पाण्डे में पारित आदेश दिनांक 16.01.2023.

उपस्थितः–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित है।
2. अधिवक्ता अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

निर्णय दिनांक 03.08.2023

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी ने इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 826/2022 ब उनवानी होम फस्ट फाईनेन्स कम्पनी इण्डिया लि॰ बनाम मनीष पाण्डे (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002) में पारित आदेश दिनांक 16.01.2023 को रिव्यू किये जाने का अनुरोध किया है।
2. रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रिव्यू प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति अप्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने को सूचित किया गया । अप्रार्थी की ओर से वित्तीय संस्थां के अधिवक्ता उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एक प्लाट यू–10, बालाजी विहार 29, लोहा मण्डी, माचडा, हरमाडा, तहसील आमेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज है। उक्त प्लाट को प्रार्थी ने केडिया एण्ड कम्पनी से खरीद करके उस पर निर्माण कार्य करवाया हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्लाट पर लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स एम आई रोड जयपुर से ऋण प्राप्त किया हुआ था जिसका प्रार्थी द्वारा समय पर भुंगतान नही करने के कारण प्रार्थी ने उक्त ऋण को चुकाने हेतु इन्द्रजीत यादव नामक व्यक्ति से सम्पर्क किया जिस पर इन्द्रजीत यादव ने उक्त ऋण की अदायगी हेतु रूपये देने में हॉ कर ली और प्रार्थी को 2,34,524/–रूपये ब्याज पर प्रार्थी को भुगतान कर दिया तथा उक्त

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्लाट के मूल कागजात प्रार्थी से ले लिये । इन्द्रजीत यादव द्वारा कुछ फर्जी कागजातों के आधार पर होम फरस्ट फाईनेन्स कम्पनी इण्डिया लि. सी स्कीम जयपुर से प्रार्थी के उक्त प्लाट पर ऋण प्राप्त कर लिया जिसके ऋण की अदायगी इन्द्रजीत यादव द्वारा नहीं की जा रही है । प्रार्थी द्वारा इन्द्रजीत यादव के विरूद्व धोखाधडी की एक रिपोर्ट पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर में दर्ज कराई गई जिसमें पुलिस द्वारा इन्द्रजीत यादव को गिरतार कर जेल भिजवा दिया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में एक वाद माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम 5 में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में न्यायालय से निर्णय प्राप्त होने तक उक्त फाईनेन्स कम्पनी को प्रार्थी के उक्त प्लाट का जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेघर करने से रोका जावें।

5. अप्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया है कि बन्धक सम्पत्ति इन्द्रजीत यादव के नाम पर है । प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से इन्द्रजीत यादव को सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 13 (2) का नोटिस को रजिस्टर्ड जारी किया गया है। सम्पत्ति के बन्धक दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी मनीष पाण्डे का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा किसी न्यायालय का स्थगन पेश नहीं किया गया है। धारा 14 के तहत पारित आदेश को रिव्यु किये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी मान्य ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष धारा 17 में जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 के प्रार्थना पत्र एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत टाईटल डीड में बन्धक सम्पत्ति का स्वामित्व इन्द्रजीत यादव का है। और धारा 13 (2) का नोटिस भी इन्द्रजीत यादव को की दिया गया है। सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 14 के तहत पारित आदेश के विरूद्व रिव्यु का अधिनियम में प्रावधान नही है। प्रार्थी धारा 17 के तहत माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष चारःजोई करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनाकं 16.01.2023 में किसी प्रकार के पुनर्विचार एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थी का पुनर्विलोकन/रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर